

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश कैम्प उज्जैन म०प्र०

प्रकरण केमांक /2018 अपील

निगरानी-41093/2018/उज्जैन/भू-२

490
01/06/18

राजाराम पिता नंदाजी जाति कुलम्बी, घंघा कृषि
निवासी ग्राम गजनीखेडी तहसील बडनगर जिला
उज्जैन —अपीलान्ट

विरुद्ध

प्राथमिक अभिभाषक श्री शिवतोष जी-राय
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 01/06/18
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

शंकरलाल पिता नंदाजी मृत वारसान-

- 1-बाबुलाल पिता शंकरलाल जाति कुलम्बी
- 2-महेशचंद्र पिता शंकरलाल जाति कुलम्बी
- 3-दिनेशचंद्र पिता शंकरलाल जाति कुलम्बी
- 4-सुहागबाई विधवा शंकरलाल जाति कुलम्बी
निवासीगण गजनीखेडी तह० बडनगर जिला उज्जैन
- 5-सागरबाई पिता शंकरलाल पति जगदीशचंद्र
जाति कुलम्बी निवासी करमदी तह० व जिला रतलाम
- 6-विष्णुबाई पिता शंकरलाल पति राघेश्याम
जाति कुलम्बी निवासी धराड तह० व जिला रतलाम

—रेस्पोजेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 44 (3) म०प्र०भू०रा०सं०

माननीय योग्य अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त
महोदय, सम्भाग उज्जैन के प्रकरण केमांक 72/अपील
/2014-15 पारित आदेश दिनांक 12-03-2018 से
असंतुष्ट एवं दखित होकर अपील प्रस्तुत है।

मान्यवर महोदय,

अपीलान्ट्स की ओर से अपील निम्नलिखित प्रस्तुत है :-


-// अपील का संक्षिप्त विवरण // -

- 1- यह कि, ग्राम गजनीखेडी तहसील बडनगर जिला उज्जैन मे अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्ट्स के संयुक्त मालिकी का एक भुमि खाता भुमि सर्वे नम्बर 403 ,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील-4093/2018/उज्जैन/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07/08/18	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के आदेश दिनांक 12.03.2018 के विरुद्ध दिनांक 01.06.2018 को विलंब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा विलंब के संबंध में जो तर्क दिए गए हैं, वे मान्य योग्य नहीं हैं। संहिता की धारा-5 के अनुसार विलंब के संबंध में दिन-प्रतिदिन का स्पष्टीकरण देना अनिवार्य होता है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस एवं युक्तियुक्त समाधानकारक कारण इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। ऐसी स्थिति में विलंब क्षमा किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। दर्शित परिस्थिति में यह अपील ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	